[2018] 6 एस.सी.आर 701

संघ लोक सेवा आयोग

बनाम

एम. साथिया प्रिया एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 10854/2014)

13 अप्रैल, 2018

[न्यायमूर्ति, मोहन एम. शांतनागौदर और न्यायमूर्ति, नवीन सिन्हा]

सेवा विधि–पदोन्नति द्वारा नियुक्ति–प्रत्यर्थी को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था–आई. पी. एस. में नियुक्ति के लिए जिन अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना था, उनमें प्रत्यर्थी का नाम शामिल था–उसके सेवा रिकॉर्ड के मौखिक मूल्यांकन पर, चयन समिति ने उसे 2008 की चयन सूची में शामिल नहीं किया–पीड़ित, प्रत्यर्थी ने सी. ए. टी. के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार किया गया था। सी.ए.टी. के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी–अपीलकर्ता–यू. पी. एस. सी. ने तर्क दिया कि सी.ए.टी. और उच्च न्यायालय दोनों ने 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गलती की–अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि आई. पी. एस. विनियमों और केंद्र सरकार द्वारा उसमें बनाए गए दिशानिर्देशों को चयन सूची बनाते समय संयुक्त रूप से लागू किया जाना है–चयन समिति को अधिकारी के प्रदर्शन पर विचार करना था, यानी पिछले पांच वर्षों सहित सेवा रिकॉर्ड, उस वर्ष से पहले, जिसके लिए दिशानिर्देशों के अनुसार चयन सूची तैयार की जानी है–अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि उस विशेष वर्ष की 1 जनवरी है जिसके लिए चयन किए जाते हैं, इसलिए चयन सूची के वर्ष से पहले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को दिशानिर्देशों के अनुसार ध्यान में रखा जाना है–इस मामले में, चयन सूची वर्ष 2008 के लिए तैयार की जानी थी–इस मामले में अधिकारियों की पात्रता की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी 2008 थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष, अर्थात चयन सूची के वर्ष से पहले के वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।चयन समिति, अधिकारी के प्रदर्शन यानी पिछले पांच वर्षों जिसे 1.04.2002 से 31.03.2007 को समाप्त होने वाले वर्ष सहित सेवा रिकॉर्ड पर विचार करेगी। जिसके लिए दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार चयन सूची तैयार की जानी है। 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष तक केवल पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रासंगिक हैं अर्थात चयन के समय 01.04.2002 से 31.03.2007 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।चयन समिति द्वारा भी इस मामले में ऐसा ही किया जा रहा था।अतः कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।ऐसा लगता है कि कैट के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.04.2002 से 31.03.2008 की अवधि के

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत दिशा–निर्देश दिया है –इसके अलावा, यू. पी. एस. सी. द्वारा गठित चयन समिति को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है, किसी को अपने मूल्यांकन पर भरोसा करना पड़ता है जब तक कि यह दुर्भावना या मनमानेपन के साथ दुर्भावना या मनमानेपन से प्रेरित न हो–तत्काल मामले में, न तो निर्णय और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावना से प्रेरित थी, और चयन समिति द्वारा कोई गंभीर गलती नहीं की गई थी जिससे मनमानेपन की ओर ले जाया गया–चयन तर्कसंगत रूप से किया गया था–आई. पी. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955–शासन।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि –

1. न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में जो त्रुटि आई, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की, वह इस बुनियादी तथ्य के कारण थी कि उन्होंने चयन समिति द्वारा चयन की अवधि/दायरे को ठीक से नहीं समझने में गलती की थी।2008 की चयन सूची के संबंध में आई. पी. एस. में चयन के लिए एक उम्मीदवार के विचार के उद्देश्य से, चयन समिति द्वारा 1.4.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था। दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार, पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारी के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ में किया जाता है, जो उस वर्ष से पहले होता है जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है।चूंकि अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि किसी विशेष वर्ष की 1 जनवरी ली जाती है, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, इसलिए चयन सूची के वर्ष से पहले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 के अनुसार ध्यान में रखा जाना है।इस मामले में वर्ष 2008 के लिए चयन सूची तैयार की जानी थी।इस प्रकार, इस मामले में अधिकारियों की पात्रता की गणना करने की महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी, 2008 है। तदनुसार, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष, अर्थात चयन सूची के वर्ष से पहले के वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।चयन समिति, अधिकारी के प्रदर्शन यानी पिछले पांच वर्षों जिसे 1.04.2002 से 31.03.2007 को समाप्त होने वाले वर्ष सहित सेवा रिकॉर्ड पर विचार करेगी। जिसके लिए दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार चयन सूची तैयार की जानी है। 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष तक केवल पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रासंगिक हैं अर्थात चयन के समय 01.04.2002 से 31.03.2007 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।चयन समिति द्वारा भी इस मामले में ऐसा ही किया जा रहा था।अतः कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।ऐसा लगता है कि कैट के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.04.2002 से 31.03.2008 की अवधि के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत दिशा–निर्देश दिया है कि आई. डी. 1 से आई. डी. 2 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा निष्कर्ष आई. पी. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 और केंद्र सरकार द्वारा उसमें बनाए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ है।(प्रस्तर 12)(719–C–H)

2. कैट और उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय मुख्य रूप से राज्य स्तर पर अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दी गई श्रेणीकरण पर भरोसा किया है।लेकिन, अधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए विनियमों और उसमें बनाए गए दिशानिर्देशों के संदर्भ में, चयन समिति को प्रत्येक योग्य अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर विचार करने की आवश्यकता थी।चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज ग्रेडिंग द्वारा निर्देशित नहीं होती है, बल्कि अधिकारी की गुणवत्ता के आधार पर अपना मूल्यांकन करती है जैसा कि रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दर्ज विभिन्न कॉलमों में इंगित किया गया है।दूसरे शब्दों में, चयन समिति को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी गई श्रेणीकरण को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल एक डाकघर के रूप में कार्य करने के बराबर होगा और पूरी प्रक्रिया एक प्रहसन के अलावा और कुछ नहीं होगी।किसी विशेष वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज ग्रेडिंग सभी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर उक्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में चयन समिति द्वारा प्राप्त ग्रेडिंग से भिन्न हो सकती है। (प्रस्तर 20) [720-A-D]

3. चयन समिति में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाती है और इसका विधिवत प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिनके पास इस मामले में विशेषज्ञता होती है।जब एक उच्च स्तरीय समिति या एक विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार किया है, तो ग्रेडिंग का मूल्यांकन किया है और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करते हुए, कैट और उच्च न्यायालय के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर बैठने का अधिकार नहीं है।यह प्रश्न कि प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, विशेष रूप से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है।चूँकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार क्षेत्र चयन समिति में निहित है और चूंकि चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए न्यायालयों के लिए आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला विकल्प नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया या तो पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर दूषित हो जाती है।यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों पर अपील के रूप में मामलों की सुनवाई करे और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे।यह प्रश्न कि क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय, अर्थात चयन समिति द्वारा तय किया जाना है।न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की बहुत सीमित गुंजाइश है। (प्रस्तर 15)[720 G,H; 721-A-C]

4. इस न्यायालय ने बार-बार कहा और निष्कर्ष निकाला है कि चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है।अदालतें अपील न्यायालय की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण या अंपायर के रूप में नहीं बैठ सकती हैं।यह विवेकाधिकार

केवल चयन समिति को दिया गया है, और अदालतें शायद ही कभी किसी उम्मीदवार के चयन की जांच करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में बैठती हैं; न ही प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना न्यायालय का कार्य है।चूँकि यू. पी. एस. सी. द्वारा गठित चयन समिति का संचालन क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए किसी को अपने मूल्यांकन पर भरोसा करना होगा जब तक कि यह दुर्भावना या दुर्भावना या मनमानेपन से प्रेरित न हो। (प्रस्तर 16)[722–F–G]

5. इस मामले में, न तो निर्णय और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावना से प्रेरित थी, और चयन समिति द्वारा कोई गंभीर गलती नहीं की गई थी जिससे मनमानेपन की स्थिति पैदा हुई।चयन तर्कसंगत तरीके से किया गया है।आवेदक–प्रतिवादी नं.1 पर चयन समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया।हालाँकि, उनकी सेवा के समग्र मूल्यांकन पर अभिलेखों के अनुसार, उसका नाम चयन सूची में इसके आकार की वैधानिक सीमा के कारण शामिल नहीं किया गया था और क्योंकि उच्च श्रेणी वाले अधिकारी विनियमों के विनियमन 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची में शामिल करने के लिए उपलब्ध थे।[पैरा 19] [724–सी–डी]

आर. एस. दास बनाम भारत संघ और अन्य (1986) पूरक

एससीसी 617:[1987] एस. सी. आर. 527; यू. पी. एस. सी. बनाम के. राजैया और अन्य (2005) 10 एससीसी 15; भारत संघ बनाम ए. के. नरूला

(2007) 11 एससीसी 10:[2007] 7 एससीआर 262; एम. वी. थिमैया बनाम यूपीएससी (2008) 2 एससीसी 119:[2007] 13 एस. सी. आर. 624–संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[1987] एससीआर 527 संदर्भितपैरा 7

(2005) 10 एस. सी. सी. 15 निर्दिष्ट पैरा 16

[2007] 7 एस. सी. आर. 262 निर्दिष्ट पैरा 17

[2007] 13 एस. सी. आर. 624 निर्दिष्ट पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 10854/2014

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2013 को रिट याचिका संख्या 15367/2010 में पारित निर्णय और आदेश से

सुश्री बीनू टम्टा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितीश गुप्ता, चंद्र प्रकाश, डॉ. रितु भारद्वाज, यशराज बुंदेला, राधाकृष्णन, एम. योगेश कन्ना, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्न न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था–

न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौदर

1. प्रश्नगत अपील संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में, 'यूपीएससी') द्वारा 2010 की रिट याचिका संख्या 15367 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 24.06.2013 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गयी, जिसमें उच्च न्यायालय ने यूपीएससी द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई बेंच, चेन्नई (संक्षेप में, 'कैट'), दिनांक 07.04.2010 के आदेश की पुष्टि की है, जिसमें आधिकारिक प्रत्यर्थीगणओं को 1.4.2003 से 31.3.2008 तक की अवधि के सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आईपीएस में नियुक्ति के लिए यहां पहले प्रत्यर्थी के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, और उन्हें आईपीएस में अधिसूचना की तिथि, अर्थात 5.5.2009 से नियुक्त किए जाने और निजी प्रत्यर्थीगणओं के बीच पहले प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता का उचित स्थान देकर भी।
2. इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

पहली प्रत्यर्थी (विवादित मुददे के प्रत्यर्थी) तमिलनाडु राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त की गयी था; वह 26.05.1997 को कर्तव्यों के लिए कार्यभार ग्रहण की। उन्हें 10.06.2006 पर पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्होंने उक्त पद पर विभिन्न स्थानों पर काम किया है।राज्य पुलिस सेवा (संक्षिप्त में 'एस. पी. एस.') अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में, पहले प्रत्यर्थी दिए गए समय पर, क्रमिक No.11 पर थी। चूंकि वरिष्ठता सूची में चौथा व्यक्ति अधिक आयु का था, इसलिए इस मामले के उद्देश्य के लिए वरिष्ठता सूची में पहले प्रत्यर्थी को क्रमिक No.10 पर प्रभावी रूप से विचार किया गया था।वर्ष 2008 के लिए, भारतीय पुलिस सेवा (संक्षेप में, 'आई. पी. एस.') में एस. पी. एस. के लिए दस रिक्तियां थीं, जो एक अखिल भारतीय सेवा है।आई. पी. एस. में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति आई. पी. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित होती है।रिक्तियों की संख्या का तीन गुना विचाराधीन क्षेत्र है और इसलिए आई. पी. एस. में नियुक्ति के लिए कम से कम तीस नामों पर विचार किया जाना चाहिए। एस. पी. एस. में पहले तीस अधिकारियों के नाम, जिसमें पहले प्रत्यर्थी का नाम भी शामिल था, वर्ष 2008 के लिए आई. पी. एस. में नियुक्ति के लिए विचार के लिए

चयन समिति के समक्ष रखे गए थे।प्रथम प्रत्यर्थी के नाम पर विचार के क्षेत्र में क्रम संख्या 9 में विचार किया गया था।उनके सेवा रिकॉर्ड के मौखिक मूल्यांकन पर, चयन समिति ने पहले प्रत्यर्थी को "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया।इस श्रेणीकरण के आधार पर, उन्हें 2008 की चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि इसके आकार की वैधानिक सीमा और चयन सूची में शामिल करने के लिए उच्च श्रेणीकरण वाले अधिकारियों की उपलब्धता थी।हालांकि, पहले के समय में, यह पाया गया था कि श्रीमती वी. जयश्री (प्रत्यर्थी संख्या 6) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी, बाद में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दिए जाने पर, भारत सरकार ने श्रीमती वी. जयश्री को भी आईपीएस के रूप में नियुक्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस प्रकार, सभी दस रिक्तियों को भारत सरकार द्वारा भरा गया था, जिसमें प्रत्यर्थी नं 6 शामिल थी।

3. 2008 की चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किए जाने से व्यथित, प्रथम प्रत्यर्थी ने कैट के समक्ष 2009 का मूल आवेदन संख्या 441 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह तर्क दिया गया कि उनके सेवा रिकॉर्ड के वैध मूल्यांकन पर, चयन समिति को उन्हें "उत्कृष्ट" या कम से कम "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए था, और उस स्थिति में उसे आई. पी. एस. में नियुक्ति के लिए चुना जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके सेवा रिकॉर्ड लगभग सभी निजी प्रत्यर्थीगणओं की तुलना में बेहतर हैं और चयन समिति ने आई. पी. एस. में नियुक्ति के लिए उन्हें हटा कर चयन करने में मनमाने तरीके से काम किया था।

4. सी. ए. टी. ने पहले प्रत्यार्थी द्वारा दायर 2009 के मूल आवेदन संख्या 441 को अपने निर्णय दिनांक 07.04.2010 के द्वारा स्वीकार किया गया था।कैट के फैसले की पुष्टि मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की रिट याचिका संख्या 15367 में, विवादित फैसले और दिनांक 24.06.2013 के आदेश के माध्यम से की गई है।यूपीएससी द्वारा इस अपील में कैट और उच्च न्यायालय के फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं।

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि यूपीएससी संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत उसे सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है।अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के आधार पर आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. एस. के लिए अलग–अलग भर्ती नियम बनाए गए हैं। आई. पी. एस. (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उप–नियम (1) के अनुसरण में आई. पी. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 तैयार किए गए हैं।नियुक्ति की विधि विनियमन 5 में प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैः

"5. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना:5 (1) प्रत्येक समिति आम तौर पर हर साल बैठक करेगी और राज्य पुलिस सेवा के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगी जो उनके द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।सूची में शामिल किए जाने वाले राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी, और भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत उनके लिए उपलब्ध पदों में उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन के रूप में पर्याप्त रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी जिसमें बैठक आयोजित की जाती है।चयन करने के लिए समिति की बैठक की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि समिति की कोई बैठक नहीं होगी, और विचाराधीन वर्ष के लिए कोई सूची तैयार नहीं की जाएगी जबकि –

क. भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध पदों में वर्ष के जनवरी के पहले दिन कोई महत्वपूर्ण रिक्तियां नहीं हैं; या

ख. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निर्णय लिया है कि भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध पदों में वर्ष के पहले दिन मूल रिक्तियों के लिए वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि जहां समिति की कोई भी बैठक किसी वर्ष के दौरान पहले परंतुक में दिए गए प्रावधान के अलावा किसी अन्य कारण से आयोजित नहीं की जा सकती है और जब समिति की फिर से बैठक होगी, तो चयन सूची प्रत्येक वर्ष के लिए अलग से तैयार की जाएगी, जिसके दौरान समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को नहीं हो सकती थी।

व्याख्या:– संयुक्त संवर्गों के मामले में, प्रत्येक राज्य पुलिस सेवा के संबंध में एक अलग चयन सूची तैयार की जाएगी।5 (2) समिति उक्त सूची में राज्य पुलिस सेवाओं के सदस्यों के मामलों को उस संख्या की सेवा में वरिष्ठता के क्रम में शामिल करने पर विचार करेगी जो उप–विनियमन (1) में निर्दिष्ट संख्या के तीन गुना के बराबर है।

बशर्ते कि ऐसा प्रतिबंध उस राज्य के संबंध में लागू नहीं होगा जहां योग्य अधिकारियों की कुल संख्या चयन सूची के अधिकतम अनुमेय आकार के तीन गुना से कम है और ऐसी स्थिति में समिति सभी योग्य अधिकारियों पर विचार करेगी।

बशर्ते कि विचार के क्षेत्र में शामिल करने के लिए संख्या की गणना करने में, उप–विनियमन (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को बाहर रखा जाएगा;

बशर्ते कि समिति राज्य पुलिस सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, वह राज्य पुलिस सेवा में स्थायी हो और उसने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद या पद पर कम से कम आठ साल की निरंतर सेवा (चाहे वह कार्यवाहक हो या स्थायी) पूरी नहीं की हो।

बशर्ते कि राज्य पुलिस सेवा में नियुक्त किसी भी जारी किए गए आपातकालीन कमीशन या अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के संबंध में, पूर्ववर्ती परंतुक के तहत आवश्यक आठ साल की निरंतर सेवा को उस सेवा में उनकी नियुक्ति की मानित तिथि से गिना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि ऐसे अधिकारी विचार के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने वास्तविक निरंतर सेवा के कम से कम चार साल पूरे कर लिए हैं, उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, पुलिस उपाधीक्षक के पद पर या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद या पदों पर।

व्याख्याःउप–विनियमन के तीसरे परंतुक के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग उस राज्य की सरकार द्वारा घटक राज्य की राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के संबंध में किया जाएगा।

5 (2) (ए) हटा दिया गया।

5 (3) समिति राज्य पुलिस सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिनकी आयु उस वर्ष जनवरी के पहले दिन 54 वर्ष हो गई है जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई हैः

बशर्ते कि राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य जिसका नाम समिति की बैठक की तारीख से पहले पिछले वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची में आता है और जिसे केवल इसलिए सेवा में नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि उसे उस चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, समिति द्वारा तैयार की जाने वाली नई सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा, भले ही वह इस बीच में 54 वर्ष का हो गया हो।

बशर्ते कि राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य, जिसने उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, समिति द्वारा विचार किया जाएगा, यदि वह "वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उस वर्ष के ठीक पहले के किसी भी वर्ष में, जिसमें ऐसी बैठक आयोजित की जाती है, विचार के लिए पात्र था, लेकिन यह नहीं माना जा सकता था कि समिति की कोई बैठक ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान या उप–विनियमन (1) के परंतुक की मद (बी) के तहत वर्षों के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

5 (3) (ए) समिति राज्य पुलिस सेवा के ऐसे सदस्य के मामले पर विचार नहीं करेगी जिसे पहले की चयन सूची में शामिल किया गया था और:

क) विनियम 9 के तहत सेवा में नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी;

बशर्ते कि उसे चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा, यदि वर्ष के प्रारंभ से पहले, वह राज्य सरकार को लिखित रूप में आवेदन करता है, जो सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है;

ख) केंद्र सरकार द्वारा विनियम 9 (क) के तहत सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था।

5 (4) चयन समिति योग्य अधिकारियों को उनके सेवा अभिलेखों के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत करेगी।5 (5) सूची तैयार करने के लिए आवश्यक संख्या में नामों को पहले उन अधिकारियों में से शामिल किया जाएगा जिन्हें अंत में "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फिर समान रूप से "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके बाद समान रूप से "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के भीतर नामों का क्रम राज्य पुलिस सेवा में उनकी वरिष्ठता के क्रम में होगा।बशर्ते कि सूची में इस प्रकार शामिल किसी अधिकारी का नाम अस्थायी माना जाएगा यदि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र को रोकती है या कोई कार्यवाही, विभागीय या आपराधिक उसके खिलाफ लंबित है या उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल बात जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती है, राज्य सरकार के संज्ञान में आ गई है।

बशर्ते कि उप–विनियम (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय के लिए वर्षवार चयन सूचियां तैयार करते समय, इस प्रकार तैयार की गई किसी भी चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल अधिकारी को सामान्य विचार क्षेत्र के अलावा बाद के वर्ष की चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा और यदि वह अस्थायी आधार पर उस वर्ष के लिए उपयुक्तता सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो ऐसा समावेश ऐसे वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त होगा।

व्याख्या I:कार्यवाहियों को केवल तभी लंबित माना जाएगा जब वास्तव में अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया गया हो या जैसा भी मामला हो, किसी न्यायालय में दायर किया गया हो।

व्याख्या II:राज्य सरकार के ध्यान में आई प्रतिकूल बात जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती है, उसे राज्य के ध्यान में तभी आया माना जाएगा जब उसका विवरण केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया हो और केंद्र सरकार का समाधान हो कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरण का अधिकारी की उपयुक्तता पर प्रभाव पड़ता है और इसकी अनुसंधान आवश्यक है।

5 (6) को छोड़ दिया गया।

5 (7) हटा दिया गया।"

6. इसमें अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान अधिवक्ता , सुश्री बीनू टम्टा, हमें अभिलेख पर सामग्री की ओर ले जाते हुए प्रस्तुत करती हैं कि कैट, साथ ही उच्च न्यायालय, एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में पहले प्रत्यर्थी के प्रदर्शन का वस्तुतः आकलन करके त्रुटि में पड़ गया है और वह भी गलत तरीके से; उन्होंने 1.4.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए गलती की है; प्रश्न में चयन के उद्देश्य के लिए विचार की जाने वाली प्रासंगिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 1.4.2002 से 31.03.2007 तक थी, चयन समिति ने केवल उन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर ही विचार किया है, और इसलिए विवादित निर्णय कानूनी रूप से खराब हैं; चयन किया जाना चाहिए।पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया के विपरीत और जिसका पूरे समय पालन किया जा रहा है, कैट के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने मामले का निर्णय विशुद्ध रूप से पहले प्रत्यर्थी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में पाए गए ग्रेडिंग के आधार पर किया है, और वह भी वर्ष 01.04.2003 से 31.03.2008 तक।

7. इसके विपरीत, श्री वेंकटरमानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कैट के साथ–साथ उच्च न्यायालय के फैसलों के समर्थन में तर्क दिया कि पहले प्रत्यार्थी का सेवा रिकॉर्ड ज्यादातर समिति द्वारा मात्र वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर चयन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सेवा अभिलेखों एवं द्वारा दाखिल की तुलना करके भी किया जाना चाहिए था।

"31.03.2008 तक उत्कृष्ट रहा या यहाँ तक कि 31.03.2007 तक भी" पहले प्रत्यर्थी को "उत्कृष्ट" "या कम से कम" "बहुत अच्छा" "के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था; पहले प्रत्यर्थी की वरीयता में अपने कनिष्ठों की नियुक्ति करके पहले प्रत्यर्थी को प्रतिस्थापित करने के लिए बिल्कुल कोई कारण नहीं दिए गए हैं; अन्य निजी प्रत्यर्थीओं को" "बहुत अच्छा" "के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन चुने गए छह कनिष्ठों में से किसी को भी उनके सेवा रिकॉर्ड में" "उत्कृष्ट" "श्रेणीकरण नहीं था, और उनमें से कुछ के पास" "बहुत अच्छा" "श्रेणीकरण भी नहीं था; चयन समिति और यूपीएससी ने नियमों के अनुसार पहले प्रत्यर्थी का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन नहीं किया है, और इसलिए तैयार की गई सूची जिसे कैट से पहले एक निर्देश के साथ संशोधित किया गया था।" आर. एस. दास बनाम भारत संघ और अन्य 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 617 के मामले में पारित निर्णय पर विश्वास व्यक्त कर उन्होंने तर्क दिया कि विनियम 5 चयन की प्रक्रिया में वरिष्ठता की भूमिका की जांच करता है, और योग्यता को महत्व और प्रधानता दी गई थी।मेधावी उम्मीदवारों का वर्गीकरण उच्च पदों पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उल्लिखित गोपनीय चरित्र सूची सहित सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि आजकल यह नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई जीवन के तथ्यों और धाराओं से अवगत है, तो केवल इसलिए कि अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का वर्गीकरण और निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में है, यह एक पर्याप्त सुरक्षा है।कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में निष्पक्षता और न्याय की आंतरिक भावना में काफी कमी आई है।कई, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च पद पर तैनात लोगों के आचरण के उदाहरणों से यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षरण के विषय पर इस तरह की सोच पूरी तरह से अनुचित नहीं है।योग्यता के आधार पर चयन करने वाले प्राधिकारी को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है, और कारणों के अभाव में कोई निष्पक्षता नहीं होगी, और राज्य सिविल सेवा के सदस्यों को चयन समिति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सकता है।इन पर, अन्य बातों के अलावा, उन्होंने अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

8. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आर. एस. दास बनाम भारत संघ के मामले में यह अवधारित किया गया है कि किसी भी वास्तविक या काल्पनिक शिकायत को खारिज करने के लिए, इंगित तरीके से वर्गीकरण के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ आधार निर्धारित किया जाना चाहिए।यदि इस तरह के वस्तुनिष्ठ आधार को ज्ञात किया जाता है, और वर्गीकरण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की वरीयता में कनिष्ठ अधिकारियों का चयन किया

जाता है, तो चयन समिति को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, और यह न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा।उम्मीदवारों के मन में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, इस न्यायालय ने सुझाव दिया कि सरकार और संबंधित अधिकारियों को अधिकारियों के वर्गीकरण के लिए कुछ आधार होना चाहिए, और ऐसा आधार वस्तुनिष्ठ होना चाहिए न कि केवल व्यक्तिपरक मूल्यांकन, और इसके अलावा ऐसे आधार को दिशानिर्देशों के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।इस न्यायालय द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका चयन समिति और यूपीएससी को पालन करना होगा। 12.03.2008 पर दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैंः

> "2.1 चयन सूची तैयार करने के लिए, अधिकारियों की पात्रता की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि आई. ए. एस. (नियुक्ति और पदोन्नति) विनियमों के विनियम 2 (1) (1) के तहत परिभाषित" वर्ष "के पहले दिन के संबंध में ली जाती है, और जो वर्तमान में कैलेंडर वर्ष है।जिस वर्ष चयन समिति की बैठक वास्तव में होती है, वह विनियमन 2 (1) (1) के तहत परिभाषा के साथ समाप्त होती है।इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में जहां आई. ए. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमों के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, वहीं आई. पी. एस. और आई. एफ. एस. विनियमों के संबंधित प्रावधान क्रमशः आई. पी. एस. और आई. एफ. एस. चयन सूची तैयार करते समय लागू होंगे।
>
> 2. 2 पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जहां चयन समिति द्वारा वर्षवार चयन सूची तैयार की जा रही है, अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची वर्ष के 1 जनवरी को ली जाती है और पात्र अधिकारियों की उपलब्धता की गणना के लिए पिछले वर्ष की चयन सूची तैयार करने की अनुमानित नियत तिथि उस चयन सूची वर्ष के 31 दिसंबर को ली जाती है।चालू वर्ष की चयन सूची के लिए, योग्य अधिकारी की उपलब्धता की गणना चयन समिति की बैठक की तारीख को की जाती है।
>
> 2. 3 पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (4) के अनुसार, चयन समिति को पात्र अधिकारियों को उनके सेवा अभिलेखों (अर्थात ए. सी. आर. और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें रखे गए दस्तावेजों) के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अनुपयुक्त' के रूप में वर्गीकृत करना होगा।समग्र सापेक्ष मूल्यांकन करने के लिए, समिति

केवल रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई श्रेणीकरण पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार योग्य अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का अपना स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी। चयन समिति पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारी के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ के साथ प्रत्येक योग्य अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड का अध्ययन करेगी, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है और विचार–विमर्श के बाद समिति के मूल्यांकन को मूल्यांकन पत्रक में दर्ज किया जाएगा जिसमें मूल्यांकन मैट्रिक्स (अधिकारी x वर्षवार मूल्यांकन) और अधिकारियों के समग्र मूल्यांकन के लिए कॉलम शामिल होगा।

चूँकि चयन सूची तैयार करने की महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची के वर्ष की 1 जनवरी है, इसलिए चयन समिति द्वारा चयन सूची के वर्ष से पहले के वर्ष के 31 मार्च (जहां एसीआर वित्तीय वर्षवार आधार पर लिखे जाते हैं) या 31 दिसंबर (जहां एसीआर कैलेंडर वर्षवार आधार पर लिखे जाते हैं) तक के एसीआर पर विचार किया जाना है।

4. 1 चयन समिति पात्र अधिकारियों के अभिलेखों को देखेगी और विभिन्न वर्षों के लिए ए. सी. आर. में रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी/स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न स्तंभों में बताए गए अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार–विमर्श करने के बाद अपना मूल्यांकन करेगी और फिर अंत में प्रत्येक अधिकारी को सौंपे जाने वाले वर्गीकरण पर पहुंचेगी।चयन समिति संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशंसा के संबंध में आदेशों को ध्यान में रखेगी। इसी तरह यह दंड देने वाले आदेशों या अधिकारी को भेजी गई किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को भी ध्यान में रखेगा, जिसे उनके प्रतिनिधित्व पर उचित विचार करने के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है।

4. 2 चयन समिति केवल एसीआर में दर्ज समग्र श्रेणीकरण, यदि कोई हो, द्वारा निर्देशित नहीं होगी, बल्कि एसीआर में प्रविष्टियों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेगी क्योंकि कभी–कभी एसीआर में समग्र श्रेणीकरण विभिन्न मापदंडों या विशेषताओं के तहत श्रेणीकरण के साथ असंगत हो सकता है।इसके अलावा, यदि समीक्षा प्राधिकरण या स्वीकार करने वाला प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षा प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन से भिन्न है, तो बाद वाले प्राधिकरण की टिप्पणियों को मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए अंतिम टिप्पणी के रूप में लिया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह प्रासंगिक

प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि उच्च प्राधिकारी विवेक के उचित प्रयोग के बाद सचेत रूप से एक अलग मूल्यांकन पर आया है।यदि रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा प्राधिकरण की टिप्पणियां एक–दूसरे के पूरक हैं और एक–दूसरे को ओवररूल करने का प्रभाव नहीं है, तो टिप्पणियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और चयन समिति द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए जैसा कि पैरा 4 में इंगित किया गया है। यह डी. ओ. पी. एंड टी. के डी. पी. सी. दिशानिर्देशों के अनुसार भी है, जैसा कि इसके ओ. एम. सं. 22011/5/86–ए. एस. टी. टी. में निहित है।(घ) दिनांक 10.04.1989 जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाता है।

4. 4 अधिकारियों के समग्र मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय (उपरोक्त प्रस्तर 3.1 में वर्पितानुसार) एक अधिकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगाः

ए. "उत्कृष्ट", यदि चयन समिति की राय में, अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह असाधारण गुणों और क्षमताओं के साथ उत्कृष्ट योग्यता का है और ये विशेषताएं पिछले पांच वर्षों के कम से कम चार ए. सी. आर. में दिखाई देती हैं, जिसमें पिछले वर्ष के ए. सी. आर. (यानी पिछले वर्ष जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है) शामिल हैं, बशर्ते कि उसे शेष वर्ष के ए. सी. आर. में कम से कम "अच्छा" श्रेणीबद्ध किया गया हो।एक अधिकारी को "उत्कृष्ट" के रूप में श्रेणीबद्ध करते समय, निम्नलिखित सांकेतिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

(i) यद्यपि ए. सी. आर. में समग्र श्रेणीकरण की अपनी प्रासंगिकता होगी, तथापि, अंतिम दृष्टिकोण रखने के लिए, समिति द्वारा किसी अधिकारी को 'उत्कृष्ट' के रूप में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लेने से पहले ए. सी. आर. में सभी व्यक्तिगत विशेषताओं/स्तंभों जैसे कार्य प्रदर्शन, प्राप्त लक्ष्य, पर्यवेक्षण, प्रबंधकीय क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षणों आदि का सावधानीपूर्वक अध्ययन और मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।

(ii) इस प्रकार, अधिकारी को 'उत्कृष्ट' के रूप में मूल्यांकन करने से पहले उसके प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए।अलग–अलग वर्षों में अलग–अलग समितियों द्वारा दी गई श्रेणीकरण में भी निरंतरता होनी चाहिए।(iii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे 'उत्कृष्ट' अधिकारी अन्य अधिकारियों का स्थान लेने जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने की अधिक आवश्यकता है कि ऐसे अधिकारी ने 'उत्कृष्ट'

के रूप में श्रेणीबद्ध होने के कड़े मानदंडों को पूरा किया है।ऐसे उद्देश्यों के लिए, संबंधित अधिकारी के ए. सी. आर. को अपना विवरण देना चाहिए। कानून और व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां या कार्य की असाधारण प्रकृति।

(iv) नियुक्ति एक अधिकारी की क्षमता के भीतर नहीं है जिसके लिए उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।हालाँकि, समिति उन विभिन्न पदों की भी जांच कर सकती है जिन पर ऐसे 'उत्कृष्ट' अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है और अधिकारी का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में वर्षों से उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति की भी जांच कर सकती है।

बी. "बहुत अच्छा", यदि चयन समिति की राय में, उसके ए. सी. आर. यह दर्शाते हैं कि अधिकारी ने अत्यधिक मेधावी कार्य किया है और उसके पास सकारात्मक गुण हैं और ये विशेषताएं पिछले पांच ए. सी. आर. में से कम से कम चार में परिलक्षित होती हैं (यानी पिछले वर्ष तक जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है) बशर्ते कि उसे शेष वर्ष के ए. सी. आर. में कम से कम "अच्छा" श्रेणीबद्ध किया गया हो।

सी. "अच्छा", यदि चयन समिति की राय में, सेवा रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अधिकारी का प्रदर्शन आम तौर पर संतोषजनक है और उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है और वे विशेषताएं पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक एसीआर में परिलक्षित होती हैं (यानी पिछले वर्ष तक जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है)।

घ. एक अधिकारी को "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि उसकी रिपोर्ट में कोई सकारात्मक योग्यता की कमी है या जिसका प्रदर्शन आम तौर पर संतोषजनक नहीं है या यदि कुछ नवीनतम ए. सी. आर. में प्रविष्टियां हैं जो पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं यदि ए. सी. आर. में दंड के आदेश होते हैं जो चयन समिति की राय में अधिकारी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त बना देगा।"

दिशानिर्देशों के पैरा 2 और 2 अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों के निर्धारण से संबंधित हैं, अर्थात चयन सूची वर्ष की 1 जनवरी।पैरा 2 घोषणा करता है कि समग्र सापेक्ष मूल्यांकन न केवल रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई श्रेणीकरण पर निर्भर करेगा, बल्कि चयन समिति सेवा अभिलेखों

का अपना स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी।पैरा 3.1 मूल्यांकन के दायरे से संबंधित है।चयन समिति प्रत्येक अधिकारी के प्रदर्शन पर विचार करें, यानी पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवा रिकॉर्ड, उस वर्ष से पहले जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है।पैरा 3.2 में कहा गया है कि अधिकारियों की पात्रता की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची वर्ष की 1 जनवरी है, इसलिए चयन सूची के वर्ष से पहले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।पैरा 4 मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।उक्त दिशानिर्देश में कहा गया है कि चयन समिति सभी प्रासंगिक अभिलेखों को देखेगी और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में विभिन्न स्तंभों में बताए गए अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार–विमर्श करने के बाद अपना मूल्यांकन करेगी और फिर अंत में निष्कर्ष पर पहुंचेगी।पैरा 4.2 निर्दिष्ट करता है कि चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण द्वारा निर्देशित नहीं होगी, बल्कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सभी प्रविष्टियों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेगी, क्योंकि कभी–कभी ए. सी. आर. में समग्र श्रेणीकरण विभिन्न मापदंडों या विशेषताओं के तहत श्रेणीकरण के साथ असंगत हो सकता है।इसका वस्तुतः यह अर्थ है कि चयन समिति डाकघर के रूप में कार्य नहीं करेगी, बल्कि विवेक के उचित प्रयोग पर निर्णय लेगी।पैरा 4.4 में अधिकारियों के समग्र मूल्यांकन/वर्गीकरण का उल्लेख है।इसमें कहा गया है कि पैरा 3.1 के अनुसार अधिकारियों के समग्र मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, एक अधिकारी को "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।पैरा में विस्तार से बताया गया है कि इस तरह की ग्रेडिंग कैसे और किस आधार पर दी जानी चाहिए।

9. चयन सूची बनाते समय विनियमों के साथ–साथ दिशानिर्देशों को संयुक्त रूप से लागू किया जाना है।हमारी सुविचारित राय में, विनियम और दिशानिर्देश संयुक्त रूप से पर्याप्त प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और वे अपने आप में एक पूर्ण संहिता बनाते हैं।विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, यूपीएससी के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति आईपीएस में पदोन्नति के लिए एसपीएस अधिकारियों के चयन के लिए एक सूची बनाती है। विनियमों के विनियम 5 (1) के अनुसार, आई. पी. एस. में पदोन्नति के लिए किसी विशेष भर्ती वर्ष की चयन सूची में शामिल किए जाने वाले एस. पी. एस. के सदस्यों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है।इसके बाद, राज्य सरकार वरिष्ठता सूची, एस. पी. एस. अधिकारियों की एक पात्रता सूची (रिक्तियों की संख्या के

अधिकतम तीन गुना तक), सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, अनुशासनात्मक/आपराधिक प्रमाण पत्र के साथ यू. पी. एस. सी. को एक प्रस्ताव भेजती है। कार्यवाही, प्रतिकूल टिप्पणियों के संचार के संबंध में प्रमाण पत्र, योग्य अधिकारियों पर लगाए गए दंड का विवरण आदि और योग्य अधिकारियों के पूर्ण एसीआर डोजियर। राज्य सरकार से उपर्युक्त अभिलेखों की प्राप्ति पर, यूपीएससी ऐसे अभिलेखों को चयन समिति के समक्ष तब रखता है जब चयन समिति भर्ती वर्ष के लिए चयन के लिए मिलती है।विनियमों के विनियम 5 (4) के प्रावधानों के अनुसार, चयन समिति विचार के क्षेत्र में शामिल योग्य एस. पी. एस. अधिकारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" या "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करती है।इसके बाद, चयन समिति विनियमों के विनियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार एक सूची तैयार करती है, जिसमें पहले "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से, फिर समान रूप से "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से और उसके बाद समान रूप से "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से आवश्यक संख्या में नाम शामिल किए जाते हैं।विनियम 6 और 6ए के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चयन समिति की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होती हैं।राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टिप्पणियों और राज्य सरकार या केंद्र सरकार से प्राप्त आवश्यक अभिलेखों पर विचार करने के बाद, आयोग विनियमन 7 के प्रावधानों के संदर्भ में संशोधन के साथ या बिना चयन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगा।आई. पी. एस. में नियुक्तियां भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा चयनित सूची से की जाती हैं।उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि एस. पी. एस. से आई. पी. एस. संवर्ग में चयन और नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क है कि चयन समिति को उसके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर उसे "उत्कृष्ट" या कम से कम "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए था, और इसके परिणामस्वरूप उसे वर्ष 2008 के लिए चुना जाना चाहिए था।यह उनका आगे का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थीगणओं के साथ उनके सेवा रिकॉर्ड के तुलनात्मक मूल्यांकन पर, जो उनसे छोटे थे, उन्हें चयन सूची से बाहर नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके सेवा रिकॉर्ड लगभग सभी की तुलना में बेहतर हैं।इस प्रकार, उनके अनुसार, चयन समिति ने पहले प्रत्यर्थी को हटाकर चयन की उक्त प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से काम किया है।

11. कैट और उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से आई. डी. 1 से आई. डी. 3 तक की 1.04.2003 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पहले प्रत्यर्थी के प्रदर्शन का वस्तुतः नए सिरे से मूल्यांकन किया है, और

आधिकारिक प्रत्यर्थीगणओं को निर्देश दिया है कि वे अधिसूचना की तारीख 5.05.2009 से ऐसी नियुक्ति को वैचारिक रूप से मानते हुए आई. पी. एस. में उसकी नियुक्ति करें, यानी आई. डी. 2 से प्रभावी होकर उसे निजी प्रत्यर्थीगणओं के बीच वरिष्ठता का उचित स्थान दें।

12. हमारी सुविचारित राय में, न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में जो त्रुटि आई, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, वह इस बुनियादी तथ्य के कारण थी कि उन्होंने चयन समिति द्वारा चयन की अवधि/दायरे को ठीक से नहीं समझने में गलती की थी। 2008 की चयन सूची के संबंध में आई. पी. एस. में चयन के लिए एक उम्मीदवार के विचार के उद्देश्य से, चयन समिति द्वारा 1.4.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था, जैसा कि सी. ए. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार, पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारी के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ में किया जाता है, जो उस वर्ष से पहले होता है जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है।चूंकि अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि किसी विशेष वर्ष की 1 जनवरी ली जाती है, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, इसलिए चयन सूची के वर्ष से पहले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 के अनुसार ध्यान में रखा जाना है।इस मामले में वर्ष 2008 के लिए चयन सूची तैयार की जानी थी।इस प्रकार, इस मामले में अधिकारियों की पात्रता की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी, 2008 है।तदनुसार, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष, अर्थात चयन सूची के वर्ष से पहले के वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चयन समिति अधिकारी के प्रदर्शन पर विचार करेगी, यानी पिछले पांच वर्षों सहित सेवा रिकॉर्ड, उस वर्ष से पहले जिसके लिए चयन सूची दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार तैयार की जानी है।तदनुसार, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष तक केवल पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रासंगिक हैं अर्थात चयन के समय 01.04.2002 से 31.03.2007 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।चयन समिति द्वारा भी इस मामले में ऐसा ही किया जा रहा था।अतः कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।ऐसा लगता है कि कैट के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत दिशा–निर्देश दिया है कि 1.4.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा निष्कर्ष विनियमों और दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

13. कैट और उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय मुख्य रूप से राज्य स्तर पर अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दी गई श्रेणीकरण पर भरोसा किया

है।लेकिन, अधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए विनियमों और उसमें बनाए गए दिशानिर्देशों के संदर्भ में, चयन समिति को प्रत्येक योग्य अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर विचार करने की आवश्यकता थी।चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज ग्रेडिंग द्वारा निर्देशित नहीं होती है, बल्कि अधिकारी की गुणवत्ता के आधार पर अपना मूल्यांकन करती है जैसा कि रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दर्ज विभिन्न कॉलमों में इंगित किया गया है।दूसरे शब्दों में, चयन समिति को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी गई श्रेणीकरण को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल एक डाकघर के रूप में कार्य करने के बराबर होगा और पूरी प्रक्रिया एक प्रहसन के अलावा और कुछ नहीं होगी।किसी विशेष वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज ग्रेडिंग सभी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर उक्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में चयन समिति द्वारा प्राप्त ग्रेडिंग से भिन्न हो सकती है।

14. यू. पी. एस. सी. के विद्वान अधिवक्ता , सी. ए. टी. के समक्ष यू. पी. एस. सी. द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि चयन समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज समग्र ग्रेडिंग की समीक्षा और निर्धारण भी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग विभिन्न विशिष्ट मापदंडों या विशेषताओं के तहत ग्रेडिंग/टिप्पणियों के साथ असंगत नहीं है।यह न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है कि चयन समिति संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशंसा के संबंध में आदेशों को ध्यान में रखती है और अधिकारियों को दंड देने वाले आदेशों या किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को भी ध्यान में रखती है, जो उपयुक्त मंच द्वारा उनके प्रतिनिधित्व पर उचित विचार करने के बाद भी हटा नहीं दिए जाते हैं।अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के मामले में उपरोक्त मानदंड सभी राज्यों/संवर्गों पर समान रूप से लागू होते हैं।

15. चयन समिति में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाती है और इसका विधिवत प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिनके पास इस मामले में विशेषज्ञता होती है।हमारी सुविचारित राय में, जब एक उच्च स्तरीय समिति या एक विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार किया है, ग्रेडिंग का मूल्यांकन किया है और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया है, तो यह कैट और उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है।

एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर बैठना।यह प्रश्न कि प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और

मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, विशेष रूप से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है।चूँकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार क्षेत्र चयन समिति में निहित है और चूंकि चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए न्यायालयों के लिए आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया या तो पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर दूषित हो जाती है।यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों पर अपील के रूप में मामलों की सुनवाई करे और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे।यह प्रश्न कि क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय, अर्थात चयन समिति द्वारा तय किया जाना है।न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की बहुत सीमित गुंजाइश है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विशेषज्ञ निकाय की राय सभी परिस्थितियों में स्वीकृति के योग्य नहीं हो सकती है और इसलिए यह कहना उचित नहीं हो सकता है कि विशेषज्ञ निकाय की राय सभी परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।हमारी संवैधानिक योजना में, चयन समिति/नियुक्ति बोर्ड के निर्णय को अंतिम और निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है।किसी भी अन्य दृष्टिकोण का एक बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा और किसी को खुद को लॉर्ड एक्टन के प्रसिद्ध शब्दों की याद दिलानी चाहिए "शक्ति भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है।"ऐसे मामलों का निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।हालांकि, इस मामले में, यूपीएससी द्वारा दायर हलफनामे से यह बहुत स्पष्ट है कि चयन समिति, जो कुछ भी नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ निकाय है, ने आईपीएस के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने से पहले अनुभव, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक कारकों की सावधानीपूर्वक जांच और जांच की थी, जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी। चयन समिति ने वास्तव में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उम्मीदवार के गुण और दोषों की जांच की थी और इसकी सिफारिशें यूपीएससी को भेजी गई थीं। यह तय कानूनी स्थिति है कि अदालतों को एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का सम्मान और विचार करना होगा, जिसमें क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल होंगे, यदि समिति के निर्णय में द्वेष या मनमानेपन नहीं आ रहा है।प्रशासनिक कानून में विकसित निष्पक्षता के सिद्धांत को विशेषज्ञों के निर्णय पर न्यायाधिकरणों और अदालतों को अपीलीय प्राधिकरणों में परिवर्तित नहीं करना चाहिए था। द. प्रतिबंध–स्व–अधिरोपित, निस्संदेह–रिट अधिकार क्षेत्र अभी भी बना हुआ है।उन्हें नजरअंदाज करने से भ्रम और अनिश्चितता पैदा होगी।अधिकार क्षेत्र दिशाहीन हो सकता है।

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन समिति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण द्वारा निर्देशित हो सकती है, लेकिन अच्छे कारणों से, चयन समिति अपना स्वयं का वर्गीकरण विकसित कर सकती है जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दी गई श्रेणीकरण से भिन्न हो सकता है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यूपीएससी बनाम के.

राजैया और अन्य (2005) 10 एससीसी 15 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति चयन समिति के पास निहित है।यह चयन प्रक्रिया के लिए एक आनुषंगिक कार्य है।वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिया गया वर्गीकरण चयन समिति के लिए बाध्यकारी नहीं है।इस तरह का वर्गीकरण चयन समिति के विशेषाधिकार के भीतर है और कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह वांछनीय है कि राज्य सरकार से भिन्न श्रेणीकरण के मामले में कारण दर्ज किए जाएं।लेकिन कार्य की प्रकृति और विनियमन 5 (4) के तहत चयन समिति तक सीमित शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह एक कानूनी आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार के निर्णय से भिन्न किसी अधिकारी को वर्गीकृत करने के लिए कारण दर्ज किए जाने चाहिए।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चयन समिति या यूपीएससी के खिलाफ कार्यवाही के किसी भी चरण में पहले प्रत्यर्थी द्वारा द्वेष या पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगाया जाता है।

इस न्यायालय ने बार–बार कहा और निष्कर्ष निकाला है कि चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है।अदालतें अपील न्यायालय की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण या अंपायर के रूप में नहीं बैठ सकती हैं।यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है, और अदालतें शायद ही कभी किसी उम्मीदवार के चयन की जांच करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में बैठती हैं; न ही प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना न्यायालय का कार्य है।चूँकि यू. पी. एस. सी. द्वारा गठित चयन समिति क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित होती है, इसलिए हमें उनके मूल्यांकन पर भरोसा करना होगा जब तक कि यह दुर्भावना या दुर्भावना या मनमानेपन से प्रेरित न हो।

17. **भारत संघ बनाम ए. के. नरूला (2007) 11 एस. सी. सी. 10, के मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह की परिस्थितियों में इस प्रकार टिप्पणी कीः**

"15. दिशानिर्देश डी. पी. सी. को जोड़ों में एक निश्चित मात्रा में खेल प्रदान करते हैं जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसे सी. आर. में दर्ज समग्र ग्रेडिंग द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सी. आर. में प्रविष्टियों के आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। डी. पी. सी. को प्रत्येक उम्मीदवार के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन अलग से करने की आवश्यकता होती है, लेकिन समान मानकों, मापदंडों और मानदंडों को अपनाकर।यह तभी होता है जब मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर दूषित किया जाता है, तो चयन में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।जहां डी. पी. सी. ने सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही मानदंड और मानदंडों को लागू करके निष्पक्ष, निष्पक्ष और उचित तरीके से आगे बढ़ा है और डी. पी. सी. द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई मनमानेपन नहीं है, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी (एस. बी. आई. बनाम मोहम्मद)।मैनुद्दीन [(1987) 4 एस. सी. सी. 486:1987 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 464:(1987) 5 एटीसी 59], यूपीएससी बनाम

हिरण्यलाल देव [(1988) 2 एससीसी 242:1988 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 484: (1988) 7 एटीसी 72] और बद्रीनाथ बनाम टी. एन. की सरकार [(2000) 8 एससीसी 395:2001 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 13])।समीक्षा डी. पी. सी. ने मामले पर पुनर्विचार किया और विस्तृत कारण दिए कि प्रत्यर्थी का मामला आर. एस. विर्क के समान क्यों नहीं था। यदि उन परिस्थितियों में, समीक्षा डी. पी. सी. ने प्रत्यर्थी की ग्रेडिंग को 1–4–1987 से 31–3–1988 की अवधि के लिए "अच्छा" से "बहुत अच्छा" में बदलने का निर्णय नहीं लिया, तो प्रत्यर्थी की समग्र ग्रेडिंग "अच्छा" बनी रही।उन्हें "अच्छा" की समग्र श्रेणी वाले अधिकारियों के समूह से "बहुत अच्छा" की समग्र श्रेणी वाले अधिकारियों के समूह में स्थानांतरित करने और डी. पी. सी. दिनांक 13–6–1990 के संदर्भ में उन्हें पदोन्नत करने का कोई सवाल ही नहीं था।डी. पी. सी. के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या पक्षपात के किसी भी आरोप के अभाव में और जिस तरीके से मूल्यांकन किया गया है, उसमें किसी भी मनमानेपन के अभाव में, उच्च न्यायालय यह निर्देश देने में उचित नहीं था कि उन्नयन का लाभ प्रत्यर्थी को दिया जाए, जैसा कि आर. एस. विर्क के मामले में किया गया था।"

18. **एम. वी. थिमैया बनाम यू. पी. एस. सी. (2008) 2 SCC 119 के मामले में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों का अवलोकन कर अवधारित किया कीः**

"30. हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायाधिकरण व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए बुलाने और इस अभ्यास को करने के लिए चयन समिति का गठन करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कैसे बैठ सकता है।यह शक्ति नहीं दी गई है न्यायाधिकरण और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन न्यायाधिकरण के समक्ष या अदालतों द्वारा अपील के अधीन नहीं है।अपना मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति को श्रेय देना पड़ता है और यह अपील के अधीन नहीं है।उम्मीदवारों के ए. सी. आर. के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, एक को बहुत अच्छा और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है।यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो वस्तुतः यह होगा कि न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने चयन समिति के रूप में बैठना शुरू कर दिया है या चयन पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है।यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है।"।

19. प्रश्नगत मामले में, हम पाते हैं कि न तो निर्णय और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावना से प्रेरित थी, और चयन समिति द्वारा कोई गंभीर गलती नहीं की गई थी जिससे मनमानेपन की स्थिति पैदा हुई।हम पाते हैं कि यह चुनने और चुनने का मामला नहीं है, बल्कि चयन तर्कसंगत रूप से किया गया है।आवेदक–प्रतिवादी नं.1 पर चयन समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया।हालाँकि, उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन पर, उनके नाम को इसके आकार की वैधानिक सीमा के कारण चयन सूची में

शामिल नहीं किया गया था और क्योंकि उच्च श्रेणी वाले अधिकारी विनियमों के विनियमन 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची में शामिल करने के लिए उपलब्ध थे।

20. जहाँ तक प्रत्यर्थी सं 6–श्रीमती वी. जयश्री के प्रकरण का प्रश्न है, शुरू में उनके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी। अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान श्रीमती वी. जयश्री का नाम, प्रत्यर्थी नं।6 इसमें, उनके सेवा अभिलेखों के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही में मंजूरी के अधीन, चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था।चूंकि राज्य सरकार ने उक्त अधिकारी की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही एक नकारात्मक रिपोर्ट के साथ समाप्त हुई, उनका नाम अंततः चयन सूची में शामिल किया गया।ऐसी प्रक्रिया को चयन समिति द्वारा विनियमों के विनियम 5 (5) के पहले परंतुक के अनुसार अपनाया गया था, जो इस प्रकार हैः

"बशर्ते कि सूची में इस प्रकार शामिल किसी अधिकारी का नाम अस्थायी माना जाएगा यदि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र को रोकती है या कोई कार्यवाही, विभागीय या आपराधिक उसके खिलाफ लंबित है या उसके खिलाफ कुछ प्रतिकूल है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता है, तो राज्य सरकार के संज्ञान में आ गया है।"

विनियम 5 (5) के प्रावधान में विशेष रूप से उन अधिकारियों को चयन सूची में शामिल करने का प्रावधान है जिनके खिलाफ विभागीय/आपराधिक कार्यवाही लंबित है, विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की मंजूरी के अधीन, चयन सूची में उनका समावेश अस्थायी रहता है।हालाँकि, आई. पी. एस. में उनकी नियुक्तियाँ विनियमों के विनियम 7 (4) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, चयन सूची में उनके नाम बिना शर्त किए जाने के बाद ही की जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैः7 (4) चयन सूची उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी जिसमें चयन समिति की बैठक विनियमन 5 के उप–विनियमन (1) के तहत सूची तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी या उप–विनियमन (1) के तहत आयोग द्वारा चयन सूची के अनुमोदन की तारीख से साठ दिनों तक या, जैसा भी मामला हो, उप–विनियमन (2) के तहत अंतिम रूप से अनुमोदित, जो भी बाद में होः

XXX

XXX

XXX

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार ने चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल अधिकारी को "बिना शर्त" घोषित करने का प्रस्ताव आयोग को उस अवधि के दौरान भेजा है जब चयन सूची लागू थी, आयोग पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर या अगली चयन समिति की बैठक की तारीख

से पहले, जो भी पहले हो, इस मामले पर निर्णय लेगा और यदि आयोग चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल अधिकारी को बिना शर्त और अंतिम के रूप में शामिल करने की घोषणा करता है, तो संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर केंद्र सरकार द्वारा विनियमन 9 के तहत विचार किया जाएगा और ऐसी नियुक्ति केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगी कि यह चयन सूची के लागू होने के बाद की गई थी।"

21. श्रीमती वी. जयश्री के नाम से, प्रत्यर्थी नं 6 इसमें, अस्थायी रूप से चयन सूची में शामिल किया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही में उनके दोषमुक्त होने के बाद चयन सूची में बिना शर्त बनाया गया था, उन्हें 2008 बैच में नियुक्त किया गया था।

22. अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष पर आते समय कैट और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से सहमत होने का कोई आधार नहीं पाते हैं।उच्च न्यायालय ने विचित्र रूप से प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में एक नया अतिरिक्त बिंदु यह कहते हुए बनाया है कि चयन समिति द्वारा बनाए गए अभिलेखों के अवलोकन पर, उच्च न्यायालय अधिकारियों की श्रेणीकरण का पता लगाने में सक्षम नहीं था राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा दर्ज अधिकारियों की श्रेणीकरण शामिल नहीं है, इसलिए चयन समिति को अपने निष्कर्ष पर आते समय राज्य सरकार द्वारा दर्ज की गई श्रेणीकरण को ध्यान में रखने का अवसर नहीं मिला। हम उक्त टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं।कैट ने मामले का निर्णय लेते समय राज्य सरकार की श्रेणीकरण सहित सभी अभिलेखों को ध्यान में रखा है, जिसका अर्थ है कि ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष विचार के समय और कैट द्वारा निर्णय के समय बहुत अधिक उपलब्ध थे। इस संदर्भ में, यू. पी. एस. सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को दी गई ग्रेडिंग के साथ राज्य सरकार द्वारा रखी गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था, क्योंकि वे रिकॉर्ड राज्य सरकार के हैं; बाकी रिकॉर्ड यू. पी. एस. सी. के पास बने हुए हैं। यू. पी. एस. सी. के पास उपलब्ध अभिलेख उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।तथापि, राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित अधिकारियों की श्रेणीकरण से संबंधित अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से सुरक्षित किए जा सकते थे।राज्य सरकार से अभिलेख प्राप्त करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने विचित्र रूप से कहा है कि ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं थे।चयन समिति के लिए यह स्वाभाविक है कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने और नियुक्तियां होने के बाद राज्य सरकार को रिकॉर्ड वापस भेज दिया जाए।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कैट दिनांकित 07.04.2010 और मद्रास में उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.06.2013 के निर्णयों को अपास्त किया जाता है।

24. तदनुसार, तत्काल दीवानी अपील स्वीकृत की जाती है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

Jai Shankar Mishra